

पत्रांक 15/मु.1-114/2019...195... विधि

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

शशि प्रकाश सिंह, (भा.प्र.से)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखंड।

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखंड।

राँची, दिनांक 03/04/2024

विषय:

काउंसिलिंग के संबंध में।

प्रसंग :


निदेशालीय पत्रांक 165 (विधि) दिनांक 15.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि निदेशालीय पत्रांक 165 (विधि) दिनांक 15.03.2024 द्वारा काउंसिलिंग की तिथि दिनांक 25.04.2024 निर्धारित की गई है।

चुनाव तिथियों की घोषणा हो चुकी है एवं उसके निमित्त आचार संहिता प्रभावी है। अतः 25.04.2024 को निर्धारित काउंसिलिंग की तिथि को तत्काल स्थगित किया जाता है। चुनाव समाप्ति के पश्चात् काउंसिलिंग की तिथि का निर्धारण कर सूचित की जाएगी।

विश्वासभाजन




(शशि-प्रकाश सिंह)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापक : 15/मु.1-114/2019...195... विधि

राँची, दिनांक 03/04/2024

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रभारी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(शशि-प्रकाश सिंह)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।